विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L0033113

श्री हरीशचंद्र वर्मा, — आवेदक
आत्मज श्रीमती कुसुम गिरीशचन्द्र वर्मा,
मेघदूत सिनेमा, कागदी पुरा,
विदिशा (म.प्र.)
पिन कोड – 464 001

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री (संचा./संधा.),
मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, — अनावेदक
विदिशा (म.प्र.) – 464001

आदेश

(दिनांक 09.04.2014 को पारित)

1. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र) (जिसे आगे फोरम के नाम से संबोधित किया जावेगा) के शिकायत प्रकरण क्रमांक C0130213 श्री हरिशचन्द्र वर्मा विरूद्ध उप महाप्रबंधक में पारित आदेश दिनांक 11.07.2013 के विरूद्ध आवेदक/उपभोक्ता की ओर से यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

2. आवेदक/उपभोक्ता ने फोरम के समक्ष इस आशय की शिकायत की थी कि वर्ष 2002–2004 में उसके द्वारा उपभोग की गई विद्युत ऊर्जा का देयक उसके द्वारा प्रतिमाह लगातार अदा किया जाता था, परन्तु ऑडिट रिकवरी के आधार पर वर्ष 2002–2004 की अवधि में उसके द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा का देयक सर्वप्रथम जनवरी 2013 में दिया गया है जो विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 (2) के प्रावधानों के विपरीत होने से वसूली योग्य नहीं है । इसके अतिरिक्त राशि की संगणना टैरिफ नियमों के विपरीत की गई है, अतः उससे प्रश्नगत राशि वसूली योग्य नहीं है । उपभोक्ता ने यह अनुतोष चाहा है कि उसे 5000/– रू. का वाद व्यय दिलाया जाए तथा मानसिक प्रताड़ना के रूप में रू. 10000/– दिलाए जाए और जारी किए गए देयक को निरस्त किया जाए ।

3. अनावेदक की ओर से उपभोक्ता की शिकायत का जवाब इस आधार पर दिया गया है कि आवेदक द्वारा जनवरी 2003 से अप्रैल 2004 तक जिस मात्रा में विद्युत का उपयोग किया गया है उसमें टैरिफ मिनिमम 45 यूनिट प्रतिमाह प्रति किलोवाट एवं रू. 180 प्रति किलोवाट के अनुसार फिक्स चार्ज लगाया जाना चाहिए जो नहीं लगाया गया था । ऑडिट द्वारा आपत्ति किए जाने पर उपभोक्ता को जनवरी 2013 में समायोजन की राशि की गणना कर देयक जारी किया गया है, जिसे अदा करने के लिए उपभोक्ता उत्तरदाई है ।

4. फोरम द्वारा विद्युत के लिए अपीलीय प्राधिकरण के अपील नं. 202 और 203 में दिए गए निर्णय जो कि अजमेर विद्युत वितरण निगम विरूद्ध मेसर्स सिसोदिया मार्बल एवं ग्रेनाइट प्रा.लि. में दिया गया था, का उदाहरण देते हुए यह निष्कर्ष दिया है कि उपभोक्ता को पहली बार देयक वर्ष 2013 में दिया गया था, ऐसी स्थिति में उसका यह तर्क मान्य किए जाने योग्य नहीं है कि 9 वर्ष बाद दिए गए देयक निरस्त किया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त टैरिफ शेड्यूल के संबंध में फोरम ने यह निष्कर्ष दिया है कि उपभोक्ता ने 2.3 में वर्णित टैरिफ को समाप्त किए जाने के संबंध में कोई आवेदन या प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है, ऐसी स्थिति में उसे जो देयक जारी किए गए हैं वह उचित है । व्यय की राशि एवं मानसिक प्रताड़ना के संबंध में फोरम ने यह निष्कर्ष दिया है कि इन तथ्यों पर विचार किए जाना उसके अधिकार क्षेत्र से परे है ।

5. फोरम के उक्त आदेश से असंतुष्ठ होकर उपभोक्ता ने यह अभ्यावेदन मुख्य रूप से इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि फोरम ने धारा 56 (2) भारतीय विद्युत अधिनियम के प्रावधानों का उचित रूप से मूल्यांकन नहीं किया है तथा टैरिफ आदेश का विधिक रूप से मूल्यांकन नहीं किया है, अतः फोरम का आदेश निरस्त किए जाने के योग्य है ।

6. **विचारणीय प्रश्न यह है कि** – क्या उपभोक्ता से देयक में वर्णित राशि विधि अनुसार वसूली योग्य है ?।

कारणों सहित आदेश इस प्रकार है :

7. भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56 (2) के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता से वसूली योग्य कोई रकम उस तारीख से जब ऐसी रकम प्रथमतः शोध्य हो गई हो 2 वर्ष की कालावधि के बाद वसूल किए जाने योग्य नहीं होगी जब तक कि ऐसी रकम सप्लाई की गई विद्युत की बकाया के रूप में वसूली योग्य निरन्तर न दर्शाई गई हो ।

8. उपभोक्ता की शिकायत के संबंध में फोरम ने धारा 56 (2) के संदर्भ में अपना स्पष्ट मत नहीं दिया है, परन्तु अजमेर विद्युत वितरण निगम के मामले में अपीलेट ट्रब्यूनेल के निष्कर्ष का उदाहरण दिया है,

जिसके अनुसार फोरम ने यह माना है कि उपभोक्ता को जब पहली बार देयक जारी किया जाता है उसी दिन से उससे वसूली योग्य रकम को पहली बार शोध्य माना जाएगा, ऐसी स्थिति में जनवरी 2003 से अप्रैल 2004 तक की अवधि के लिए उससे आडिट रिकवरी के आधार पर जिस राशि की मांग की गई है वह विधिसंगत है । फोरम ने ऐसा निष्कर्ष दिए जाते समय संभवतः अनावेदक कार्यपालन यंत्री की ओर से प्रस्तुत जवाब का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन नहीं किया है । उपभोक्ता की शिकायत के संबंध में फोरम के समक्ष कार्यपालन यंत्री (संचा./संधा.) मप्रमक्षेविविकंलि. विदिशा के द्वारा अपने जवाब क्रमांक सी.0130213 922–23 दिनांक 04/05/2013 को प्रस्तुत किया गया था । इस जवाब में यह लेख किया गया है कि ऑडिट द्वारा माह जनवरी 2003 से अप्रैल 2004 तक की अवधि में टैरिफ अनुसार टैरिफ मिनिमम 45 यूनिट प्रतिमाह प्रति किलोवॉट एवं रू. 180/– प्रति किलोवॉट के अनुसार फिक्स चार्ज लगाया गया है, जिसके अनुसार ऑडिट द्वारा निकाली गई अन्तर राशि रू. 34748/– होती है, जिसकी मांग तत्समय की गई थी, जिसे शिकायतकर्ता ने जमा नहीं किया था, जिसके परिणामस्वरूप निकाली गई अंतर राशि की मांग विद्युत बिल माह जनवरी 2013 में की गई है ।

9. अनावेदक की ओर से प्रस्तुत इस जवाब का अवलोकन करने से इस तथ्य का कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है कि जनवरी 2003 से अप्रैल 2004 तक की अवधि में उपभोक्ता द्वारा उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा और इस संबंध में उपभोक्ता को जारी किए गए देयकों का अंकेक्षण कब किया गया था । अंकेक्षण दल की रिपोर्ट कब प्राप्त हुई थी तथा अंकेक्षण दल की रिपोर्ट के आधार पर अंतर राशि का देयक उपभोक्ता को पहली बार कब जारी किया गया था ? कार्यपालन यंत्री की ओर से प्रस्तुत जवाब के साथ ऑडिट रिपोर्ट की प्रति संलग्न है, जिसका अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि यह रिपोर्ट दिनांक 02.05.2006 को संबंधित कार्यपालन यंत्री को भेजी गई थी, जो दिनांक 15.05.2006 को संबंधित कार्यपालन यंत्री को प्राप्त हो गई थी । इस रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो जाता है कि जनवरी 2003 से अप्रैल 2004 तक की अवधि के लिए ऑडिट दिनांक 02.05.2006 के पहले किया गया था तथा 02.05.2006 को रिपोर्ट संबंधित अधिकारी को भेज दी गई थी अर्थात् अंकेक्षण दल द्वारा संबंधित अधिकारी को यह जानकारी दे दी गई थी कि जनवरी 2003 से अप्रैल 2004 तक की अवधि के लिए उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई विद्युत ऊर्जा का जो देयक जारी किया गया था तथा जो राशि उपभोक्ता से वसूली की गई है वह नियमानुसार सही नहीं है, अतः उपभोक्ता से अन्तर राशि वसूल की जाए ।

10. दिनांक 15.05.2006 को ऑडिट द्वारा की गई आपत्ति की जानकारी प्राप्त होने पर उपभोक्ता को अन्तर राशि का पहली बार देयक जब जारी किया गया, इसका उल्लेख अनावेदक की ओर से प्रस्तुत जवाब में नहीं है, परन्तु जवाब की कण्डिका – 3 में यह उल्लेख है कि **"ऑडिट की राशि की मांग तत्समय की**

गई थी जिसे शिकायतकर्ता ने जमा नहीं किया'' अनावेदक की ओर से प्रस्तुत उक्त जवाब का अवलोकन करने से यही निष्कर्ष निकलता है कि वर्ष 2006 में ऑडिट की आपत्ति की जानकारी होने पर उपभोक्ता से अन्तर की राशि की मांग की गई थी, परन्तु उपभोक्ता ने उसे जमा नहीं किया था, इसी कारण जनवरी 2013 में जारी बिल में इस राशि की मांग उससे पुनः की गई थी ।

11. जनवरी 2003 से अप्रैल 2004 तक की अवधि के लिए ऑडिट वर्ष 2006 में किया गया अर्थात् वर्ष 2006 में अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी के अधिकारियों को इस बात की जानकारी हो गई थी कि उपभोक्ता से रू. 34748/– की राशि वसूल किया जाना है, परन्तु मई 2006 के बाद जारी देयकों को उपभोक्ता से वसूली योग्य उक्त राशि को उसे जारी किए गए देयकों में नहीं दर्शाया गया था और इसके बाद के महीनों में उपभोक्ता को जो देयक जारी किए गए थे उन देयकों में उक्त राशि को विद्युत के बकाया चार्जेज के रूप में वसूली योग्य निरन्तर नहीं दर्शाया गया था ।

12. भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 (2) के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में इस तथ्य पर भी विचार किया जाना उचित होगा कि माह जनवरी 2013 में उपभोक्ता को जो देयक जारी किया गया था उस देयक में वर्णित राशि उपभोक्ता से प्रथमतः कब वसूली योग्य हुई थी ? ।

13. अनावेदक की ओर से उपभोक्ता को जो देयक जारी किए गए थे उनका अवलोकन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसे देयक मासिक थे अर्थात् जनवरी माह में उपभोक्ता द्वारा उपभोग किए गए विद्युत ऊर्जा का प्रभार वसूलने के लिए उसे फरवरी माह में देयक जारी किया गया था । ऐसे देयक में निश्चित की गई तिथि तक उपभोक्ता को देयक में वर्णित राशि जमा करना आवश्यक था । जनवरी 2003 से अप्रैल 2004 तक की अवधि में उपभोक्ता द्वारा जिस मात्रा में विद्युत का उपयोग किया गया था उसका देयक प्रत्येक माह उपभोक्ता को दिया जाता था तथा ऐसे देयक में वर्णित राशि प्रत्येक माह उपभोक्ता द्वारा जमा की जाती थी ।

14. अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी के अंतरिम अंकेक्षण दल द्वारा अंकेक्षण किए जाने के पूर्व उपभोक्ता पर कोई राशि बकाया नहीं थी । अंकेक्षण दल ने यह पाया था कि जनवरी 2003 से अप्रैल 2004 तक उपभोक्ता को जो देयक जारी किए गए हैं उसमें टैरिफ की संगणना नियमानुसार नहीं की गई है, ऐसी स्थिति में जनवरी 2003 से अप्रैल 2004 तक की अवधि के लिए उपभोक्ता पर जो राशि वसूली योग्य थी उसके देयक उसे तत्समय जारी किए गए थे । अतः टैरिफ की संगणना की गलती की जानकारी प्राप्त होने पर उपभोक्ता को जनवरी 2003 से अप्रैल 2004 तक की अवधि के लिए प्रत्येक माह के लिए पृथक–पृथक देयक जारी किया जाना अपेक्षित था, परन्तु अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा ऐसे देयक जारी किया

जाना नहीं पाया जाता है जिनका अवलोकन करने से यह स्पष्ट हो सके कि जनवरी 2003 से अप्रैल 2004 तक की अवधि के लिए उपभोक्ता ने किस मात्रा में ऊर्जा का प्रभार जमा किया था तथा प्रत्येक माह उससे अतिरिक्त रूप से कितनी ऊर्जा का प्रभार लिया जाना चाहिए ?। दिनांक 26.06.2013 को मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल की ओर से उपभोक्ता को देयक जारी किया गया था, जिसमें ऑडिट रिकवरी राशि रू. 34798/– दर्शाई गई है । इस देयक में अन्य कोई विवरण नहीं दिया गया है । फोरम की नस्ती में प्रबंधक, मप्रमक्षेविविक., विदिशा वितरण केन्द्र का पत्र क्रमांक 525 दिनांक 26.06.2013 संलग्न है, जिसमें यह लेख है कि ऑडिट पार्टी द्वारा उपभोक्ता से 34798/– रू. के अन्तर राशि वसूल किए जाने का आदेश दिया है । यह राशि पूर्व में उपभोक्ता के नियमित बिल जनवरी 2013 में जोड़ी गई थी, जो हटा दी गई है । इस राशि में पैनल्टी भी हटा दी गई है एवं संशोधित नियमित बिल भेजा जा रहा है, अतः नियत दिनांक तक राशि जमा की जाए । प्रबंधक के इस पत्र में भी इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि अंकेक्षण दल ने जो आपत्ति की थी उसका औचित्य क्या था ? परन्तु इस पत्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि अंकेक्षण दल की आपत्ति पर ही उपभोक्ता से प्रश्नगत् राशि वसूली योग्य होना माना गया था ।

15. अंकेक्षण दल की आपत्ति के आधार पर प्रश्नगत राशि उपभोक्ता से वसूली योग्य पाई गई थी । अंकेक्षण दल ने इस तथ्य की जानकारी अपने पत्र दिनांक 02.05.06 के द्वारा संबंधित अधिकारी को दे दी थी, अतः यदि अंकेक्षण दल की रिपोर्ट के आधार पर ही प्रश्नगत राशि उपभोक्ता से प्रथमतः शोध्य होना माना जाए तो ऐसी स्थिति में अंकेक्षण दल की रिपोर्ट प्राप्त होने के दो वर्ष के अन्दर उपभोक्ता को ऐसी राशि वसूल किए जाने का देयक जारी किया जाना अपेक्षित था, परन्तु अंकेक्षण दल की रिपोर्ट 15.05.06 को प्राप्त होने के बाद 2 वर्ष की अवधि के अन्दर उपभोक्ता को ऐसी राशि वसूल किए जाने का देयक जारी नहीं किया गया था । अतः यह तथ्य प्रथमदृष्टि साबित होता है कि उपभोक्ता से वसूली योग्य राशि की जानकारी प्राप्त होने के बाद 6 वर्ष तक उपभोक्ता को ऐसी राशि जमा करने का देयक जारी नहीं किया गया था, जो कि भारतीय अधिनियम 2003 की धारा 56 की उपधारा (2) के उल्लंघन की परिधि में आता है ।

16. उपभोक्ता ने यह आपत्ति भी की है कि उससे जिस मान से टैरिफ वसूल किए जाने की आपत्ति अंकेक्षण दल ने की है, वह उचित नहीं है । उपभोक्ता द्वारा की गई उक्त आपत्ति का कोई विधिक आधार होना नहीं पाया जाता है, अतः अंकेक्षण दल द्वारा की गई आपत्ति विधिसंगत प्रतीत होती है ।

17. उपभोक्ता ने वाद–व्यय तथा मानसिक प्रताड़ना के संबंध में अनुतोष चाहा है । इस तथ्य के संबंध में उपभोक्ता को अवगत कराना उचित होगा कि उसकी ओर से वर्णित तथ्यों के परिपेक्ष्य में उसे ऐसा

अनुतोष दिए जाने का प्रावधान भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमों में नहीं है ।

: निष्कर्ष :

18. उपरोक्त विवेचन से यह पाया जाता है कि मई 2006 में उपभोक्ता से वसूली योग्य राशि की जानकारी प्राप्त होने के बाद भी उपभोक्ता को ऐसी राशि वसूल किए जाने का देयक जारी नहीं किया गया था, अतः मई 2006 के बाद जनवरी 2013 में पहली बार ऐसी राशि वसूली हेतु जो देयक जारी किया गया था वह भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 56 (2) के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में कालबाधित था, अतः अनावेदक उपभोक्ता से ऐसी राशि वसूल पाने के अधिकारी नहीं हैं । इस प्रयोजन हेतु उपभोक्ता द्वारा जमा राशि का समायोजन आगे आने वाले देयकों में किया जावे ।

19. उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन को स्वीकार किया जाता है । उपभोक्ता की शिकायत के संबंध में फोरम के आदेश को अपास्त किया जाता है । आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति नियमानुसार पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल